

[2023] 6 एस. सी. आर. 570

/

[2023] 6 एस सी आर।

/

मेसर्स जर्मिन कैपिटल एल. एल. सी. दुबई बनाम

केंद्रीय अन्वेषण और ओ. आर. एस. (2023 का विविध आवेदन संख्या 1278)

/

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 1434) 17 मई, 2023

[कृष्णा मुरारी और संजय कुमार, जे. जे.]

/

निर्णय/आदेश-आदेश का संशोधन। 09.05.2023 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित, अपीलार्थी पर रुपये की राशि जारी करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त लगाई गई। 38.52 करोड़ रुपये अलग रखे गए-अपीलार्थी को वास्तविक भुगतान की तारीख तक 08.05.2006 से देय 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ उक्त राशि निकालने की अनुज्ञात गई-प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले पारित विभिन्न आदेशों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी द्वारा संशोधन की मांग की गई, जिसमें बिक्री आय का निर्देश दिया गया (जो अंततः कुल मिलाकर रु। 38.52 करोड़) को बैंक सावधि जमा में रखा जाएगा ताकि उच्च ब्याज दर प्राप्त की जा सके-अनुमत-अपीलार्थी को उपरोक्त राशि को उस पर उपार्जित सावधि जमा ब्याज राशि के साथ बिना शर्त निकालने की अनुज्ञात जाए।

/

/

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता : 2023 का विविध आवेदन 2023 की आपराधिक अपील में No.1434। सीआरएल में 09.05.2023 दिनांकित निर्णय और आदेश से। ए. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 2023 का No.1434।

/

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुनील फर्नांडिस, सुश्री नूपुर कुमार, दिव्यांश तिवारी, एम. थंगथुराई, सुश्री प्रियांशा शर्मा, सुश्री दीक्षा दादू, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

/

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., राजेश रंजन, मुकुल सिंह, शैलेश मडियाल, प्रत्यूष श्रीवास्तव, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भट्ट, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, एड.उत्तरदाताओं के लिए।

/

570

/

मेसर्स जर्मिन कैपिटल एल. एल. सी. दुबई बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑर्स।

/

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

आदेश

एम. ए. में आई. ए. सं. 100413/2023.1278/2023

इस आवेदन के माध्यम से, अपीलकर्ता अपील की अनुमति देते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.05.2023 के आदेश में संशोधन चाहता है। इस प्रकार, निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी पर 38.52 करोड़ की राशि जारी करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त को अलग कर दिया गया और अपीलार्थी को वास्तविक भुगतान की तारीख तक 08.05.2006 से देय 4 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ उक्त राशि निकालने की अनुमति दी गई।

/

₹

/

2. हालाँकि, अपीलार्थी ने पहले पारित किए गए विभिन्न आदेशों की प्रतियाँ प्रस्तुत कीं, चाहे वे प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा हों या इस न्यायालय द्वारा, जिसमें बिक्री आय, जो अंततः कुल मिलाकर 38.52 करोड़ हो, को बैंक सावधि जमा में रखने का निर्देश दिया गया ताकि उच्च ब्याज दर प्राप्त की जा सके। इस संबंध में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांकित 08.05.2006 आदेश और इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 05.12.2008, 14.05.2009 और 16.11.2009 आदेशों का संदर्भ दिया जा सकता है।

/

3. मामले के उस दृष्टिकोण में, 2023 की आपराधिक अपील संख्या 1434 में पारित अंतिम आदेश अनुच्छेद 21 को प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाएगा:

/

“21. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी को उपरोक्त राशि को उस पर उपार्जित सावधि जमा ब्याज राशि के साथ बिना शर्त निकालने की अनुमति दी जाएगी। ”

/

4. आई. ए. सं. 100413/2023 की अनुज्ञात है और इसके परिणामस्वरूप, एम. ए. सं. 1278/2023 का निपटारा कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे

आवेदन का निपटारा कर दिया गया।

/

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/